दिनांक 17.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 26/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 तस्कर 101 कि0ग्रा0 गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 16–07–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को 101 कि0ग्रा0 गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1– किशोर कुमार मेहर पुत्र बीरा मणी मेहर निवासी थाना पट्टीपड़ा भगप्लाट, जनपद–सोनपुर उड़ीसा।

2– तुषार महापात्रा पुत्र बद्री प्रसाद महापात्रा निवासी घोड़ाघाटपड़ा, थाना कोतवाली नगर, जनपद सोनपुर, उडीसा।

3– मानस महापात्रा पुत्र टीटू महापात्रा निवासी मुंडीपड़र थाना मनमुन्डा, जनपद बौध उडीसा।

4– कम्पल बगरती पुत्र अकुरा बगरती निवासी बरीगाँव, थाना उलुण्डा, जनपद सोनपुर उडीसा।

बरामदगी–

1– लगभग 101 कि0ग्रा0 गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड रूपये)।

2– दो अदद कार संख्या OD31H4162, OD15S3699

3– 04 अदद मोबाइल

4– 01 अदद पैन

5– 01 अदद आधार कार्ड

6– 01 अदद् डी0एल0

7– रू0 4880/– नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–</u>

रायबरेली कानपुर हाइवे अतौरा बुजुर्ग राजनगर पुलिया थाना क्षेत्र गुरूबक्स गंज, जनपद रायबरेली। दिनांक 16–07–2025 समय करीब 23.05 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 16–07–2025 को अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद रायबरेली में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि उडीसा राज्य से वाहन संख्या OD31H4162, OD15S3699 में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) छिपाकर प्रयागराज के रास्ते उन्नाव जा रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 प्रभात कुमार, मु0आ0 अमित यादव की टीम द्वारा क्षेत्राधिकारी, लालगंज, जनपद रायबरेली को साथ लेकर एनडीपीएस एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप आवष्यक कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त किषोर कुमार मेहर ने पूछताछ में बताया कि उसका संगठित गिरोह है, जो उड़ीसा राज्य से कम दामों में गॉजा खरीदकर उत्तर प्रदेष के विभिन्न जनपदों में ऊचें दामों पर सप्लाई करता है। इस गिरोह का सरगना यह स्वयं है एवं तुषार, मानस व कम्पल उपरोक्त इसके मुख्य सहयोगी है। इस बार उड़ीसा से गॉजा खरीदकर प्रयागराज होते हुए उन्नाव में किसी को देने हेतु जा रहा था। साथ ही फतेहपुर रेलवे स्टेषन के पास सोनू सिंह नाम के व्यक्ति को 30 हजार रूपये प्रति किग्रा के हिसाब से देना था। इसके पूर्व में वर्ष–2021 में जबलपुर म0प्र0 से गॉजा तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गुरूबक्स गंज जनपद रायबरेली में मु0अ0सं0 192/25 धारा 8/20/25/29/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा सम्पादित की जायेगी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर असलहा तस्करो करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 04 अवैध पिस्टल व 07 अदद मैगजीन के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 17–07–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध असलहो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्करों को 04 अदद अवैध पिस्टल (32बोर) व 07 अदद मैगजीन के साथ वाराणसी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र स्व0 लालजी सिंह निवासी ग्राम व पो0 रामचन्दीपुर थाना–चौबेपुर, जनपद वाराणसी।

2– भोला कुमार साव पुत्र राजेन्द्र साव निवासी मटाडीह पो0 जमालपुर थाना धरहरा जनपद मुंगेर (बिहार)

बरामदगीः–

1– 04 अदद पिस्टल (32बोर)

2– 07 अदद मैगजीन।

3– 03 अदद मोबाइल फोन।

4– 01 अदद टाटा जेस्ट कार

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

बावन बीघा रिंग रोड अण्डर पास थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी। दिनांक 17–07–2025

अवैध असलहो की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के पूर्वांचल में सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था जिसके अनुपालन में एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कायवाही प्रारम्भ की गयी एवं अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया।

निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान मिलिट्री इण्टलीजेन्स (MI) द्वारा भी एस0टी0एफ0 वाराणसी में सम्पर्क कर वाराणसी

एवं इसके आस–पास के जनपदों में असलहा तस्करों के सक्रिय होने की अभिसूचना को साझा किया गया। दिनांक 17–07–2025 को विश्वस्त सूत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि मुंगेर (बिहार) के सक्रिय असलहा तस्कर गोविन्द साव का आदमी भोला साव भारी मात्रा में अवैध असलहा लेकर स्थानीय असलहा तस्कर समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू को देने के लिये वाराणसी आने वाला है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा बावन बीघा रिंग रोड अण्डर पास थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी से 02 असलहा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू ने पूछताछ पर बताया कि वह लगभग 4–5 साल पहले वाराणसी में ट्रेवेल्स की कार चलाता था। इसी दौरान उसका सम्पर्क ट्रेवेल्स कार ड्राइवर राहुल सिंह निवासी राजातालाब जनपद वाराणसी (दुर्घटना में मृत) से हुई। इन दोनों की जान–पहचान बढने के उपरान्त राहुल सिंह ने समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू को बताया कि वह मुंगेर (बिहार) के असलहा तस्कर गोविन्द साव निवासी कटरिया थाना व जनपद मुंगेर (बिहार) को जानता है, जो असलहों का बड़ा सप्लायर है। उससे असलहा लेकर बेचने पर काफी पैसा कमाया जा सकता है। राहुल सिंह के माध्यम से ही असलहा तस्कर रोहतास (बिहार) निवासी उत्तम सिंह से भी सम्पर्क में आया। जिसके बाद समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू और राहुल सिंह मिलकर असलहों की तस्करी करने लगे। इसी दौरान वर्ष 2023 में समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू को थाना इलिया जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जब यह जेल से छूटा तब तक राहुल सिंह की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू असलहा तस्कर उत्तम सिंह के साथ मिलकर पुनः तस्करी का काम करने लगा। समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू कुख्यात असलहा तस्कर गोविन्द साव से 15 हजार रूपये प्रति पिस्टल के हिसाब से मंगाकर लगभग 40 से 50 हजार रूपये प्रति पिस्टल पूर्वांचल एवं पूर्वांचल से सीमावर्ती बिहार के जनपदों में बेचने लगा। गोविन्द साव अलग–अलग तस्करों के माध्यम से समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू तक असलहा पहुॅचाता था। गोविन्द साव असलहा पहुचाने वाले व्यक्ति को प्रति चक्कर लगभग 03 हजार रूपये देता था।

गिरफ्तार अभियुक्त भोला कुमार साव जनपद मुंगेर का रहने वाला है, जो गोविन्द साव के लिए काम करता है। गोविन्द साव ने भोला को समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू तक पिस्टल पहुँचाने के लिए कहा था, जिस पर गोविन्द साव द्वारा भोला साव के माध्यम से समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू तक पिस्टल पहुँचाया जाने लगा। इस काम के एवज में 03 हजार रूपये प्रति चक्कर देता था। इसी क्रम में आज भी गोविन्द साव ने भोला साव को समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू को पिस्टल देने के लिये भेजा था।

उपरोक्त गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लालपुर, पाण्डेयपुर, वाराणसी में मु0अ0सं0 189/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 23 लाख रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 16/17.07.2025 को थाना इन्दिरापुरम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वसुन्धरा टी प्वाइंट ग्रीन बेल्ट के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मुकुल 2–सुरेन्द्र घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–आकाश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर छिजारसी कट से कनावनी पुस्ता रोड से जंगल जाने वाले मार्ग के पास से अभियुक्त 4–नितेश 5–विवेक 6–विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट के 23 लाख रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.07.2025 को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुकुल निवासी भीमनगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद।

2—सुरेन्द्र निवासी गोल चक्कर थाना बीटा—2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3—आकाश निवासी गोल चक्कर थाना बीटा—2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4—नितेश निवासी भीमनगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद।

5—विवेक निवासी ग्राम माईचा थाना दादरी कमिश्रनेट गौतमबुद्धनगर।

6—विशाल निवासी ग्राम रूपवास पचगई जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—लूट के 23 लाख रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद बलिया/थाना नगरा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 17.07.2025 को थाना नगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेकुआ नसीरपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर

दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सतीश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना नगरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नगरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सतीश निवासी गुठौली थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद कन्नौज/थाना इन्दरगढ़

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 66 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.07.2025 को थाना इन्दरगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से अभियुक्त 1—दीपक उर्फ फुलौरी 2—रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 66 हजार 200 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.07.2025 को थाना इन्दरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दरगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दरगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक उर्फ फुलौरी निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज।

2–रोहित निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1–लूट के 66 हजार 200 रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद गोरखपुर/थाना झंगहा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 05 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 17.07.2025 को थाना झंगहा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुबियारी पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1–आर्यन 2–प्रियांशु 3–रविन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 05 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.06.2025 को थाना झंगहा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना झंगहा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना झंगहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आर्यन निवासी मदरहवा चौराहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

2–प्रियांशु निवासी ग्राम जाफरागव थाना रघुनाथपुर जनपद सिवान बिहार, हालपता रानीडीहा थाना एम्स जनपद गोरखपुर।

3–रविन्द्र निवासी ग्राम रौतनिया बाबू सरदारनगर थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 05 हजार रूपये नगद।

3–03 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन।

- **जनपद मेरठ/थाना हस्तिनापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मेरठ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मेरठ द्वारा थाना हस्तिनापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट सपठित धारा 65(2), 351(2) बीएनएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अंकित उर्फ काला को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद औरैया/थाना फफूंद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना फफूंद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–किशन 2–रनवीर को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना हरदी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना हरदी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि, 4(1) पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त करन को 10 वर्ष के कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————